संख्या– 2779 5(166)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
 उ0प्र0।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
 उ0प्र0।
3. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
 उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1, **लखनऊः दिनांक** 02 ~~**अक्टूबर**~~ दिसम्बर**, 2013**

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुये उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश सं0–1533/52–3–13– सा(30)/13, दिनांक 24.8.2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** भी सम्मिलित है। यह योजना लाभार्थी परक है।

D.S.(P)

3/12/13

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31.7.2013 तक की भौतिक प्रगति को वार्षिक लक्ष्य से घटाते हुये अवशेष लक्ष्य में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मात्राकरण करते हुये जनपदवार

फॉट निर्धारित कर दिया जाय। तदनुसार योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की जनपदवार फॉट संलग्नक–क पर है। इसके आधार पर ही जनपदवार लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है। संबंधित जनपद में योजना के निर्धारित लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक क्षेत्रों (ग्रामीण/शहरों) का प्राथमिकता पर चिन्हीकरण, लक्ष्यों का क्षेत्रवार फॉट संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3– योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नही हो पाते हैं तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4– उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति **संलग्नक–ख** पर की जा रही है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण/सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक **संलग्नक–ग** पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

5– योजना से संबंधित शासनादेश सं0–1533/52–2013–सा(30)/2013, दिनांक 24.8.2013 में निर्धारित अन्य शर्तो/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या– 2779 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग विभाग